



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 356/17

निर्णय दिनांक: 21.03.2018

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | चन्द्रकला पत्नी स्व. नत्थूसिंह | |
| 2. | विष्णु सिंह | |
| 3. | यशोदा देवी | |
| 4. | गीतादेवी | पुत्र/पुत्रियों स्व. नत्थूसिंह जाति पुरोहित |
| 5. | हरिसिंह | निवासी हनुमानहत्था जिला बीकानेर। |
| 6. | सीतादेवी | |
| 7. | रामसिंह | |
| 8. | भवानीसिंह पुत्री | |
| 9. | गायत्री देवी | |

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 07-03-1992
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इगानप, कोलायत

उपस्थिति:—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इगानप, कोलायत के निर्णय दिनांक 07-03-1992 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को पूर्व से ही वन विभाग को आवंटनशुदा रकबा भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को तमाम जाँच के उपरान्त दिनांक 07-03-1992 को आवांटन का पात्र घोषित किया जाकर आवांटन सलाहकार समिति की राय से चक 6 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 184/42 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 184/34 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 20 बीघा भूमि 14 बीघा कमाण्ड व 6 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवांटन किया गया। लेकिन उक्त भूमि वन विभाग के नाम व कब्जे में होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अदालत मातहत को पूर्व में ही सुनिश्चित करना चाहिए था कि आराजी जैर आवांटन से पूर्व निर्विवाद रूप से उपलब्ध थी अथवा नहीं? अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समय समय पर उपस्थित होता रहा है तथा उक्त आराजी के एवज में अन्य आराजी के आवांटन हेतु कथन किया जाता रहा है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश हैं कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवांटित भूमि पूर्व से ही आवांटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है।

अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवांटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवांटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-1992 के विरुद्ध अपील दिनांक 11-10-17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि पूर्व में वन विभाग को आवंटित है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-1992 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 11-10-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तमाम जॉच के उपरान्त दिनांक 07-03-1992 को आवंटन का पात्र घोषित किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 6 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 184/42 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 184/34 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 20 बीघा भूमि 14 बीघा कमाण्ड व 6 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। लेकिन उक्त भूमि वन विभाग के नाम व कब्जे में होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है ना ही अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया ना ही कब्जा प्रदान किया गया।

(3) अभिभाषक अपीलांट द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि पूर्व में ही वन विभाग आवंटनशुदा होने के कारण अपीलांट का आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर व उचित भूमि का नहीं किया जाना साबित है।

(4) जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को सामान्य की पात्रता मानते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया। अपीलांट को आवंटित भूमि में से एक हिस्सा पूर्व में ही वन विभाग को आवंटन शुदा होकर मौके पर वन विभाग का कब्जा है। अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही दिनांक 07-03-1992 को आवंटन किया गया था।

(5) अपीलांट को पूर्व में आवंटनशुदा भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन से पूर्व यह भली-भांति सुनिश्चित करना चाहिए था कि क्या आराजी जैर निर्विवाद रूप से विवादरहित व शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन किया गया है।

(6) अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इगानप, कोलायत दिनांक 07-03-1992 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स की पात्रता की जॉच करते हुए निर्विवाद व शुद्ध रूप से भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर